संक्षिप्त

चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार

टोंक। अति. पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव के निर्देशन में वृत्ताधिकारी उनियारा आकांक्षा कुमारी एवं बनेठा थानाधिकारी भागीरथ सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्र के गांव ककोड में गत 28 दिसम्बर की रात्रि को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तीन दुकानो के ताले तोड़कर दुकानो में रखे सामान व करीब 7500 रूपये को चुराकर ले गये, जिसके बाद ग्रामीणो द्वारा दर्ज प्रकरण में बनेठा थाना पुलिस ने अनुसंधान प्रारम्भ किया। पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही में आरोपी ओमप्रकाश पुत्र महावीर मीना उम्र 24 साल निवासी अरनिया माल थाना मेहन्दवास को बाद पुछताछ के गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार थानाधिकारी निवाई घासीराम के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना निवाई क्षैत्र में चुराई गई 2 पानी की मोटर चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी कमलेश पुत्र छीतरमल जाति माली उम्र 29 साल निवासी टोडी पुलिस थाना हरमाडा जयपुर हाल वनस्थली मोड थाना निवाई को गिरफ्तार किया गया।

जुआ खेलते 3 गिरफ्तार

टोंक। जिला स्पेशल टीम ने निवाई के बरोनी थाना क्षेत्र स्थित पराना गांव में ताश पत्ती पर जुआ खेलते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 43 हजार 295 रुपए नकद व मोबाइल फोन और वाहन बरामद किए हैं। डीएसटी प्रभारी ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर टीम ने बरोनी थाना क्षैत्र के पराना गांव में दबिश देकर जुआ खेलते हुए पकड़ा।

ग्राम पंचायत राजनौता में कलैक्टर ने रात को रुककर समस्याएं निबटाई

कोटपूतली, पावटा । जिले के उपखंड पावटा की ग्राम पंचायत राजनौता में जिला कलैक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल आयोजित हुई। इस दौरान ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए जिला कलैक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री की भावना के अनुसार परिवेदनाओं का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई जाए। रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों द्वारा विभिन्न समस्याओं के परिवाद दिए गए। इस दौरान लाल डोरा आबादी क्षेत्र में पट्टा संबंधी परिवाद प्राप्त होने पर कलेक्टर ने एसडीएम एवं तहसीलदार को टीम गठित कर मौका मुआयना करते हुए रिपोर्ट्स जिला परिषद में प्रस्तुत करने को कहा साथ ही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजनौता में भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि आवंटन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने एवं क्षेत्र में बंदर व सुअर से परेशानी के प्रकरण प्राप्त होने पर विकास

उपखंड पावटा की ग्राम पंचायत राजनौता में गुरुवार को जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल आयोजित हुई।

अधिकारी को प्रभावी कार्यवाही कर आमजन को राहत पहुँचाने के निर्देश दिए। इस दौरान नियमित जलापूर्ति करने, बिजली सड़क, अतिक्रमण, पीएम आवास योजना का लाभ दिलवाने, खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने सहित अन्य परिवाद भी प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर ने एक-एक परिवादी की परिवेदना को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी लेते हुए नियमानुसार समाधान के निर्देश प्रदान किए। इस दौरान चौपाल में उपस्थित अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों से कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

कागजों में मजबूत बताई, पर कुछ ही महीनों में उखड़ी सीसी सड़कें

- कई जगह अधूरी छोड़ दी गई, जिम्मेदार मौन

पावटा । नगरपालिका पावटा प्रागपुरा क्षेत्र में पावटा से कुनेड तक सीसी रोड का निर्माण कार्य किया गया है। इसमें ठेकेदार द्वारा जमकर अनियमितता बरती गई है। कागजों में मजबूत और टिकाऊ बताई जा रही सीसी (सीमेंट कंक्रीट) सड़कें हकीकत में भ्रष्टाचार और लापरवाही की शिकार नजर आ रही हैं।

तहसील पावटा में ग्रामीण सड़क मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2023-24 अंतर्गत बनने वाली सड़क का निर्माण कार्य जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते लापरवाही का शिकार हो गया है। क्षेत्र में वर्ष 2023-24 में पावटा से कुनेड मार्ग तक 80 लाख की लागत से 2 किमी लंबी सड़क निर्माण के लिए 16 जुलाई 2023 मे निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश जारी हुए थे। लेकिन करीब दो साल बीत जाने के बाद भी सड़क निर्माण कार्य पूरा भी नहीं हो सका है।

वही ज्यों सड़क बनाई गई है उसमें गड्ढे भी पड़ने शुरू हो गए है। ठेकेदार की मनमानी और लापरवाही के कारण स्थानीय जनता में आक्रोश पनप रहा है। अभियंता एवं संवेदकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण कार्य की भूमि हकीकत बयां करने के लिए यह काफी है।

सड़क टूटने व दरार आने की सूचना विभाग के अधिकारियों को दी गयी लेकिन मामला से अनजान बने हुए हैं वहीं ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क तो भ्रष्टाचार का महज एक बानगी है। सड़क निर्माण में गुणवत्ता का खयाल नहीं रखा गया। ग्रामीणों ने बताया कि योजना स्थल पर लगे बोर्ड के अनुसार काम हुआ ही नहीं। ग्रामीणों ने संवेदक एवं अभियंता पर गुणवत्ताहीन सड़क बनाने का आरोप लगाया है। अब सड़क का निर्माण कार्य अधूरा रहने से राहगीर लगातार चोटिल हो रहे हैं। आम जनमानस इस बात से बेहद नाराज है कि इस लापरवाह ठेकेदार के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। यह सवाल उठना लाजमी है कि दो साल से अधिक समय बीतने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी मौन क्यों हैं? टेंडर होने के बावजूद सड़क निर्माण अधूरा रहना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। सीसी सड़कें कुछ ही महीनों में टूट-फूट का शिकार हो गई हैं।

कई जगह कंक्रीट की परत उखड़ चुकी है, दरारें पड गई हैं और कई हिस्सों में सड़क निर्माण कार्य को अधूरा छोड दिया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सीसी सड़क निर्माण में मानकों की खुलेआम अनदेखी की गई। घटिया सीमेंट, कम मोटाई और सही क्योरिंग नहीं होने के कारण सड़कें समय से पहले ही जवाब दे गईं। बरसात के बाद स्थिति और भी भयावह हो गई है।

अधूरी छोड़ी गई सड़कों पर गड्ढों और ऊंच-नीच के कारण दोपहिया वाहन चालक और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सीसी सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, तब संबंधित विभाग के अभियंता और जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे? बिना गुणवत्ता जांच के ही ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया या फिर सब कुछ मिलीभगत से हुआ? जनता के मन में अब यही सवाल गूंज रहा है। क्षेत्रवासियों में भारी रोष है। लोगों ने मांग की है कि सीसी सड़कों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई हो तथा अधूरी सड़कों का निर्माण तुरंत पूरा किया जाए। लोगो को अच्छी सुविधा मुहैय्या कराने सरकार द्वारा नगर के विकास कार्यो के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है मगर जिम्मेदार स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही से नगर में हो रहे विकास कार्य में जमकर अनियमितता की जा रही है।

किशनगढ़बास में किन्नर समाज ने 70 छात्राओं को गर्म स्वेटर बांटे

- विद्यालय प्रधानाचार्य सहित समिति सदस्यों ने किन्नर समाज का जताया आभार

किशनगढ़ बास। राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं को कड़ाके की पड रही ठंड में किन्नर समाज की गुरु संतरा किन्नर ने विद्यालय की 70 बालिकाओं को गर्म स्वेटर वितरित कर समाज में मानवाता की मिशाल पेश की है वहीं इस दौरान किन्नरों ने बालिकाओं को उज्जवल भविष्य के लिए आशिर्वाद दिया। किन्नर गुरु संतरा वर्षों से किशनगढ़ बास में रहकर विभिन्न प्रकार से गरीब दुखी व्यक्तियों की मदद कर मानवता की मिशाल पेश करती आ रही है।

विद्यालय की प्राचार्य मंजू यादव ने बताया कि किन्नर समाज की गुरु संतरा देवी ने स्कूल की छात्राओं को 70 गर्म स्वेटर वितरित किए गए। इस कड़ाके की ठंड में स्कूल के 70 बच्चों को गर्म स्वेटर वितरित किए जाने पर विद्यालय प्रधानाचार्य सहित समिति व स्टाफ ने किन्नर समाज की गुरु संतरा किन्नर व किन्नर चांदनी, तनु ,सुनीता, पालभाति, अभिषेक , का सम्मान किया। इस अवसर पर विद्यालय समिति के हरमेश खुराना सहित पूजा ,संगीता कुमारी, सुमन ,संगीता यादव, वीरेंद्र शर्मा, देवकीनंदन गुप्ता, कोमल , योगेश, मिथिलेश, सरिता सैनी, संजय शर्मा ,विनोद भार्गव सहित विद्यालय की सभी छात्राएं मौजूद थी ।

अब आभा आईडी से ही बनेगी पर्ची

कोटपूतली। यहां के राजकीय बीडीएम जिला चिकित्सालय में ओपीडी की पर्ची अब आभा आईडी से ही बनाई जायेगी। पीएमओ डॉ. पुष्कर राज गुर्जर ने बताया कि राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत अब चिकित्सालय में आने वाले समस्त ओपीडी मरीजों की पर्चियां अनिवार्य रूप से आभा एप के माध्यम से ही बनाई जायेगी। उन्होंने बताया कि आभा एप से बनी पर्ची के बिना मदर लैब में किसी भी प्रकार की जांच संभव नहीं होगी। साथ ही मरीज को भर्ती करना भी संभव नहीं होगा। यह व्यवस्था अस्पताल में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ करने एवं मरीजों की चिकित्सा जानकारी को सुव्यवस्थित रखने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। डॉ. गुर्जर ने आमजन से अपील की कि वे चिकित्सालय आने से पूर्व आभा आईडी बनवाकर रखें अथवा अस्पताल परिसर में उपलब्ध आभा डेस्क की सहायता लेकर अपनी आभा आईडी एवं पर्ची बनवायें ।

हिन्दू सम्मेलन पर चर्चा

शाहपुरा । हिन्दू सम्मेलन योजना को लेकर देवीपुरा गांव में गोपीनाथजी के मंदिर में देवीपुरा मंडल जिसमें चतरपुरा, पिपलोद, धेलास, रेडा, स्वामीपुरा, प्रधानों की ढाणी, बिचपुड़ी, भानीपुरा गांव के गणमान्य व्यक्तियों की बैठक आयोजित हुई।

खोया पाया

मेरे RHB का प्लॉट नं. 190/129, सैक्टर 19, प्रताप नगर, सांगानेर का हैण्डिंग ऑवर सर्टिफिकेट कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। 9414783849

मेरे भूखंड संख्या D-124 जेडीए की योजना प्रीम हैबिटेड डी जयपुर का जेडीए से जारी मूल जेडीए पट्टा एवं साइड प्लान एवं स्टांप पेपर कही खो गया है सूचित करे - रेनू पारीक मो - 9887991200

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम जोली.एम से बदलकर जोली सन्नी साम पत्नी श्री सन्नी साम रख लिया है। भविष्य में मुझे जोली सन्नी साम के नाम से जाना जावे। पताः- सी-15, जी-2, वृन्दावन अपार्टमेन्ट-3, सनराइजसिटी, निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान

मैंने मेरा नाम प्रेमलता धनोपिया से बदलकर प्रेमलता रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। प्रेमलता पत्नी पंकज कुमार धनोपिया, राधावल्लभ मार्ग, बोहरो का मोहल्ला सांगानेर

मैंने अपना नाम हेम सिंह बड़गौता से बदलकर हेम सिंह पुत्र श्री अमर सिंह रख लिया है। भविष्य में मुझे हेम सिंह के नाम से जाना जावे। पताः- प्लाट नं.272, जयरामपुरा, जयपुर, राजस्थान।

मैं गायत्री देवी पत्नी सुरेंद्रकुमार कड़वासरा, निवासी-138, ऑफिसर्स कैम्पस, सिरसी रोड़, खातीपुरा, जयपुर। मेरे समस्त दस्तावेज आधारकार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक सबमें मेरा नाम गायत्री देवी है। HDFC की पॉलिसी संख्या 17974504 में गायत्री कड़वासरा है। गायत्री देवी और गायत्री कड़वासरा दोनों मेरे नाम है भविष्य में मुझे गायत्री देवी के नाम से जाना पहचाना जाए।

मैंने अपना नाम मोहम्मद गुलाब खान (MOHAMMED GULAB KHAN) से बदलकर गुलाब खान पुत्र श्री मोहम्मद खान निवास 561, बालाजी का रास्ता, रामगंज बाजार, जयपुर रख लिया है, भविष्य में मुझे गुलाब खान (GULAB KHAN) के नाम से जाना पहचाना जावें।

I Have changed my name Retesh Kumar Khatri Son of Ramesh Kumar Khatri to Ritesh Khatri Son of Ramesh Khatri for all future purpose. Address- 124/76, Agrawal Farm, Mansarovar, Jaipur

I have changed my name from Sakshi Bharadwaj to Sakshi Bhardwaj W/o Ajay Sharma R/o 47/175, Kiran Path, Mansarovar, Jaipur. I future I should be known and recognized to be my new name

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

रेल लाइन पार करते समय युवक के दोनों पैर कटे

फुलेरा। फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। रेल लाइन पार कर रहे एक युवक के दोनों पैरों के पंजे कट जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को 108 एंबुलेंस की सहायता से उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया गया।

प्रत्यर्थी का सम्मन दि. 09.01.2026

न्यायालय पारिवारिक न्यायालय, झुंझुनूं (राज.)
याची आशीष विरूद्ध मधु सोनी
याचिका सं. – 425/24
याचिका बाबत – Sec 9 H.M.A.
प्रेषित मधु सोनी पत्नी आशीष पुत्री बालकिशन
जाति ..... निवासी– हाल वार्ड नं. 14, न्यू सब्जी मंडी के पास, नीम का थाना, तह. नीम का थाना, जिला नीम का थाना

ने आपके विरुद्ध याचिका बाबत् आशीष न्यायालय में प्रस्तुत की है। अतः आप दिनाक 16.01.2026 को प्रातः 10:00 बजे न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर याचिका का जबाब प्रस्तुत करें।

आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन और ऐसे सब दस्तावेज जो आपके लिखित कथन का आधार हैं, न्यायालय में प्रस्तुत करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपरोक्त बतायी गई तारीख को इस न्यायालय में उपस्थित नही होगें तो याचिका की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

आज तारीख 09.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी किया गया है।

आज्ञा से वरिष्ठ मुंसरिम
पारिवारिक न्यायालय, झुन्झुनू (राज.)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 04/2026
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री आलोक फतेहपुरिया मंत्री ने पंजीकृत श्री धन्वन्तरि सेवा समिति प्रन्यास जयपुर 96, जौहरी बाजार जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 33 जयपुर 2006 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रपत्र 8 प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा प्रन्यास की नवीन प्रबंधकारिणी का चुनाव कर स्वयं का नाम बतौर मंत्री, कैलाश कुमार अग्रवाल उपसभापति, मनीष अग्रवाल संयुक्त मंत्री सुरेश कुमार अग्रवाल कोषाध्यक्ष, वीरेन्द्र कुमार राणा को सभापति चयन कर चयनित सदस्यों के नाम प्रन्यास रिकार्ड जिला जयपुर को प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए. यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 8/1/26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी गया।
आइदा तारीख पेशी 12/2/26

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

सम्मन बनाम कायम मुकमान

(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 11, जयपुर महानगर जयपुर
रमेश चन्द व अन्य बनाम गजानन्द व अन्य
दावा बाबत...अपास्त किये जाने निर्णय व डिक्री
मुकदमा नं.13 सन् 2011
177/24

बनामः- 2/2. शांति देवी पुत्री स्वर्गीय जगदीश पत्नी सत्यनारायण जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी वेरिया, बागडो की ढाणी, निवारू रोड, जयपुर।
2/3. मंजू देवी पुत्री स्वर्गीय श्री जगदीश पत्नी श्री रामकिशोर जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी प्लॉट नंबर 18, सुदामापुरी-1. जोडला पॉवर हाउस, सीकर रोड, जयपुर।
2/4/1. रवि पुत्र बाबुलाल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी वार्ड नंबर 5, बढारणा पोस्ट, हरमाड़ा, तहसील रामपुरा डाबडी, जयपुर।
2/4/2 राहुल पुत्र बाबुलाल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी वार्ड नंबर 5, बढारणा पोस्ट, हरमाड़ा, तहसील रामपुरा डाबड़ी जयपुर।
चूंकि रमेश चन्द व अन्य ने इस अदालत में तारीख 02.05.2011 माह, सन् को 1. रमेश चन्द व अन्य बनाम 2. गजानन्द व अन्य दायर की जो, कि बाद में फोत हो गया और चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश, मजकूर के कायम मुकान जायज हो और इस्तदुआ की है, बजाय उसके आप 3.2/2.2/3 व 2/4/1, 2/4/2, बनाये जावें।
लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाबदेही 1. आपको तारीख 16 माह 01 सन् 2026 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में सुना व फैसला किया जावेगा।
बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 9 1 माह सन् 2026 को जारी किया गया।

दस्तखत-रीडर
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या- 11,
मोहर — जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर

हेतुक दर्शित करने के लिये सूचना

(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रकिया संहिता पहली अनुसूची संख्याकि 4)
न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम-03
जयपुर महानगर, द्वितीय जयपुर
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सख्या 4/ 25
भंवर लाल सामरिया
बनाम
शेखर विश्वकर्मा व अन्य
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

बनाम शेखर विश्वकर्मा, पुत्र स्व. शम्भू नाथ विश्वकर्मा, निवासी- प्लाट नम्बर 44, मजदूर नगर, हसंनपूरा, अजमेर रोड, जयपुर। उक्त ने इस न्यायालय मे यह आवेदन किया है कि अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्षित करने के लिये दिनांक 05 माह 2 सन् कि को 1037 पूर्वान्ह मे स्वंय या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेष किया गया हो उपसंजाता हो यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगे तो उक्त आदेष की सुनवाई और और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जायेगा।
यह वाद ता. 06 माह 01 सन् 26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश
प्रस्तुतकार अपर सिविल न्यायाधीश एव महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-03,
मोहर — जयपुर महानगर द्वितीय

हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्याक 4
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, क्रम-9
जयपुर महानगर द्वितीय
श्रीमती इन्द्रा देवी बनाम श्रीमती शांति देवी पंचोली व अन्य
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र संख्या 09/2025 T.I.

बनाम मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर कॉर्पोरेशन जयपुर जरिये मालिक / प्रोपराईटर श्री परवेज शेख पुत्र श्री इस्लाम शेख, निवासी-6. फतेह सिंह स्कीम, रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर, हाल किरायेदार- प्लाट नं. 7., ग्राम महापुरा उर्फ कूकरखेडा, खसरा नम्बर 52-53, मुरलीपुरा जयपुर उक्त वादी ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थाई अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु दायर किया है। अतः आपको चेतावती दी जाती है कि आप इस आवेदन के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 28 माह 01 सन् 26 को 10.30 AM पूर्वाह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगें तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज दिनांक 08 माह 01 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वरिष्ठ रीडर
मुहर — अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम- 9, जयपुर महानगर द्वितीय

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 05/2026
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्रीमती रानी झा, सचिव ने पंजीकृत प्रन्यास मैथिला आंगन 11/536, मालवीय नगर जयपुर जिसका पंजीयन कमांक 83 जयपुर 2023 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रपत्र 8 प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा प्रन्यास की संचालन कारिणी का चुनाव कर सुधा झा-सरंक्षिका, आराधना मिश्रा अध्यक्ष, सरिता झा-उपाध्यक्ष, अनुराधा मिश्रा-सहसचिव, अर्पणा झा-कोषाध्यक्ष, रानी मिश्रा-प्रचार प्रसार मंत्री, नेहा झा-प्रचार प्रसार मंत्री, अंजु झा-सांस्कृतिक मंत्री, रत्ना झा-संगठन मंत्री, विभा मिश्र सदस्य, अनिता झा-सदस्य, शालिनी झा-सदस्य, सुष्मिता झा-सदस्य, डा. मैथिली मिश्रा-सदस्य तथा स्वयं को नाम बतौर सचिव चयन कर चयनित सदस्यो के नाम प्रन्यास रिकार्ड जिला जयपुर को प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए. यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 8/1/26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी गया।
आइदा तारीख पेशी 12/2/26

मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम-03, जयपुर महानगर, द्वितीय जयपुर
वाद पत्र सख्या 3249/25
भंवर लाल सामरिया
बनाम
शेखर विश्वकर्मा व अन्य
वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

बनाम मैसर्स किएटिव विल्ड हाईट प्रा0 लि0, जरिये निदेशक श्री हरिश कुमार, पुत्र श्री आसनदास, पंजीकृत कार्यालय, 01 टैगोर नगर, अजमेर रोड, जयपुर। उक्त.... ने इस न्यायालय मे यह आवेदन अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्षित करने के लिये दिनांक 04 माह 02 सन् 26 को 10.30 पूर्वान्ह मे स्वंय या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेष किया गया हो उपसंजाता हो यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जायेगा।
यह आज ता.06 माह 01 सन् 26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

प्रस्तुतकार-अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-03
मोहर — जयपुर महानगर द्वितीय

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम-03, जयपुर महानगर, द्वितीय जयपुर
वाद पत्र सख्या 3243/25
भंवर लाल सामरिया
बनाम
शेखर विश्वकर्मा व अन्य
वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

बनाम शेखर विश्वकर्मा, पुत्र स्व. शम्भू नाथ विश्वकर्मा, निवासी- प्लाट नम्बर 44, मजदूर नगर, हसनपूरा, अजमेर रोड, जयपुर। ने आपके विरूद्ध पंजीयत किया है आपका इस न्यायालय मे तारीख 04 माह 02 सन् 26 को दिन में 10.30 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय मे स्वंय या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नो का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति मे है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति मे हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप मे निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजो को उल्लेखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करे।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय मे उपसंजात नही होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति मे किया जायेगा।
यह वाद ता. 06 माह 01 सन् 26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

प्रस्तुतकार-अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-03
मोहर — जयपुर महानगर द्वितीय

कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

आवश्यक सुचना

आवास संख्या 1/80, एन.ई.बी.85 योजना, अलवर जो कि मूलतः श्री सम्पत मल लोढा पुत्र श्री सरदार मल लोढा को आवंटन पत्रांक 5604 दिनांक 03.03.1989 के द्वारा आवंटित किया गया। था। इनके बेचान उत्तरान मण्डल द्वारा आवास का नियमितिकरण एवं अंदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 5234 दिनांक 20.02.2006 को श्रीमती नरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा के पक्ष में जारी कर दिया गया था। श्रीमती नरेश चन्द शर्मा द्वारा आवास की रजिस्ट्री स्वयं के नाम से दिनांक 20.02.2009 को उप पंजीयक कार्यालय अलवर में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्रीमती नरेश चन्द शर्मा द्वारा उक्त आवास का बेचान जयं पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 19.06.2020 को श्रीमती अरती भाया पत्नि श्री भरत भाया एवं श्री भरत भाया पुत्र स्व. श्री हरा बहादुर भाया को संयुक्त रूप से कर दिया गया। मण्डल द्वारा आवास का नाम लीज हस्तांतरण कार्यालय आदेश क्रमांक 124/913 दिनांक 27.09.2025 को श्रीमती आरती भाया एवं श्री भरत भाया के संयुक्त नाम से जारी कर दिया गया। श्रीमती अरती भाया एवं श्री भरत भाया द्वारा उक्त आवास का बेचान संयुक्त रूप से जय पंजीकृत बचनामा दिनांक 09.10.2025 को श्रीमती शीला जैन पत्नि श्री सौभान चंद जैन को कर दिया गया। श्रीमती शीला जैन द्वारा उक्त आवास का मण्डल नियमानुसार लीज हस्तांतरण किये जाने हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 1/80, एन.ई.बी. 85 योजना, अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एंव अन्य व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती शीला जैन पति श्री सौभान चंद जैन के पक्ष में आवास के लीज हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

आम सूचना

सर्व साधारण को स